NABI AZAD): (a) to (d) Recently, Air India has undertaken a techno-economic study for selecting the Medium Capacity Long Range (MCLR) aircaft for induction into the fleet of Air India. Aircraft from Boeing and Airbus Industries are being evaluated; it is too early to identify sources of funding this aircraft purchase.

Promotion policy in Air India

*396. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) what is the promotional policy for officers working in Air India;

(b) the details of all officers promoted to higher grade on the basis of 'B" grade annual reports for the last three vears;

(c) whether the same concession is given to SC/ST officers; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) Promotion Policy for officers followed by Air India lays emphasis on promotions being based on merit. For objective assessment! of merit, a quantitative assessment system with a total of 100 marks has been devised. A maximum of 60 marks are for performance appraisal reports (on the basis of Reports for 3 years) and 40 marks are earmarked for personal interview. An officer has to obtain 70 marks for becoming eligible for promotion.

In the case of those officers who have only one or two annual performance appraisal reports at the time of consideration a weightage system has been devised to determine the total marks to be assigned for appraisal reports.

(b) During the last 3 years no officer with "B" grade annual appraisal report as been promoted.

(c) and (d) Do not arise.

दृश्य प्रचार माध्यम में महिलाओं का अशिष्ट रूपण

*397. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हिन्दी फिल्मों और विज्ञापनों में महिलाओं को निरन्तर अशिष्ट तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने फिल्म सेंसर बोर्ड को इस संदर्भ में कड़ा रुख अपनाने के लिये कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, 1986 का बहुत अधिक उल्लघंन किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार इस संबन्ध में एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने का विचार रखती है ; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) यह सत्य नहीं है कि देश में हिन्दी फिल्मों तथा विज्ञापनों में महिलाओं को नियमित रूप से अशोभनीय रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

(ख) सभी फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले उन्हें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है । बोर्ड फिल्म को चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और उनके अन्तर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत प्रमाणित करता है । मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक प्रति-लिपि विवरण में संलग्न है (नीचे देखिये) । बोर्ड को फिल्मों के प्रमाणन हेतु सरकार

द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने का निदेश दिया गया है।

(ग) से (च) महिलाओं का अशोभनीय प्रस्तुतीकरण (निषेध) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लघंन एवं संज्ञेय अपराध है। अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों का है। उक्त अधिनियम अभी भी नया है तथा महिला और बाल विकास विभाग के पास इसके कार्यान्वयन, प्रसार अथवा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की स्वीकृति आदि के बारे में बहुत कम फीडबैक हैं। अधिनियम में परिवर्तनों को अंतिम रूप देने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये नेशनल ला स्कूल आफ इंडिया, बंगलौर विश्वविद्यालय से इस अधिनियम की विस्तृत जांच करने का अनुरोध किया है। इसलिये, महिला एवं बाल विकास विभाग का एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

विवरण

(भारत सरकार के असाधारण, राजपत्र, भाग–2, खंड–3 तथा उपखंड (2) में प्रकाशनार्थ)

भारत रकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर, 1991

अधिसूचना

सा.का.नि. 836 (ई) केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 9(अ) तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन को मंजूरी देने के लिये फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होगा:–

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि:—

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक रूप से रोक न लगाई जाए ;

(ग) प्रमाणन व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हों ;

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें ; और

(ङ) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि:—

(1) हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियायें उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जायें;

(2) अपराधियों की ,कार्य प्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उद्दीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए ;

(3) ऐसे दृश्य न दिखायें जायें जिनमें:—

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरुपयोग किया गया हो;

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा उनका मजाक उड़ाया गया हो ; और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरुपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाये जाएं ।

(4) मूलत: मनोरंजन प्रदान करने के लिये हिंसा, क्रूरता, और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनशील या अमानहीन हो सकते हों;

(5) वे दृश्य न दिखाये जायें जिनमें मद्यपान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो;

(6) मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देने वाले अथवा उचित ठहराने वाले दृश्यों को न दिखाया जाए;

(7) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए ;

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रखें जायें जिनसे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो;

(9) महिलाओं के लिये किसी भी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश, बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिएं तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिये प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को कम से कम रखाजाना चाहिएं और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए;

(11) काम-विकृतियों दिखाने वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए । यदि विषय वस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए;

(12) जातिगत, धार्मिक या अन्य समूहों के लिये अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किये जाने चाहिए;

(13) सांप्रदायिक, रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों की प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए;

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए;

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहियें जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हो;

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिये;

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिये;

(18) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे किसी व्यष्टि या व्यष्टि निकाय या न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो;

व्याख्या—ऐसे दृश्य जिनसे नियमों के प्रति घृणा, अपमान या उपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात करें न्यायालय की अवमानना के अन्तर्गत आयेंगे ।"

(19) संप्रतीक और नाम का अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों के अनुरुप से अन्यथा राष्ट्रीय चिह्न और प्रतीक न दिखाए जाएं ।

3. फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि:—

(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है ;और

(2) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुये विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो ।

4. ऐसी फिल्में, जो उपर्युक्त मापदंडों पर खरी उतरती हों, किन्तु वयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिये प्रमाणित की जाएगी ।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात फिल्म ऐसी होनी चाहिये जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं के साथ बैठकर देखा जा सकता हो ।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुये यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता/पिता/अभिभावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाये तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा ।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषय-वस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिये तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिये प्रमाणित की जाएगी ।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों की बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चित करेगा कि ये शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदंड का उल्लंघन नहीं करते हों ।

पाद टिप्पणी:—सा.का. 9 (ई) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र भाग–2, खंड–3 , उपखंड (2) दिनांक 7–1–78 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 5–5–77/एफ. (सी) दिनांक 7–1–78 निम्न द्वारा संशोधित:–

(1) भारत के राजपत्र, भाग–2, खंड–3, उपखंड (2) दिनांक 17–2–79 में सा.का. 618 के रूप में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 5–5–77/एफ.(सी) दिनांक 27–1–79 ।

(2) भारत के असाधारण राजपत्र भाग–2, खंड–3, उपखंड (2) दिनांक 7–5–83 में सा.का. 356(ई) के रूप में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 805/2/83–एफ.(सी) दिनांक 7–5–83 ।

(3) भारत के राजपत्र, भाग–2, खंड–3, उपखंड (2) दिनांक 9–9–89 में सा.का. 2179 के रूप में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 805/4/89–एफ(सी), दिनांक 11–8–89

[फा.सं. 805/1/90–एफ.(सी)]

ह./–

(एस. लक्ष्मीनारायणन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फोन : 383857

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली–1

विश्व बैंक सहायता में कमी

*398. श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला :
श्री आस मोहम्मद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत के लिये विचाराधीन विश्व बैंक सहायता में कमी करने का संकेत दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या एहतियाती उपाय कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, नहीं